

भारत सरकार
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

केन्द्रीय मनश्चिकित्सा संस्थान, रांची में मल्टी टास्किंग स्टाफ के पद के लिए प्रारूप भर्ती नियमों पर¹
सार्वजनिक सूचना

कार्मिक एवं प्रशिक्षा विभाग के दिनांक 13.10.2015 के का.ज्ञा.सं.एवी.14017/61/2008-एस्ट (आरआर) के अनुपालन में, केन्द्रीय मनश्चिकित्सा संस्थान, रांची में मल्टी टास्किंग स्टाफ के पद के लिए प्रारूप भर्ती नियम संलग्न हैं।

प्रारूप भर्ती नियमों पर आपत्ति/टिप्पणी करने या सुझाव देने के इच्छुक व्यक्ति (स्टेक होल्डर्स) अपनी आपत्ति/टिप्पणी या सुझाव इन प्रारूप भर्ती नियमों के प्रकाशन की तारीख से 30 दिनों की अवधि के अंदर लिखित रूप में श्री अजय कुमार केपी, अवर सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, कमरा नं. 521-ए, निर्माण भवन, मौलाना आजाद रोड, नई दिल्ली-110108 को या ई-मेल पते: ajaya59@gmail.com पर भेज सकते हैं।

(अजय कुमार केपी)

अवर सचिव, भारत सरकार

टेलीफोन: 011-23061342

नई दिल्ली

दिनांक: अगस्त, 2017

| क्र.सं. | अनुसूची के अनुसार | वर्तमान भर्ती नियमों में प्रावधान | प्रस्तावित प्रारूप भर्ती नियमों में संशोधित प्रावधान | परिवर्तन के कारण |
|---------|--------------------------------------|--|--|--|
| 1. | पद का नाम | माली/ मजदूर (48), वार्ड एटेंडेंट (178), दरबान (11), अनुचर (10), मेट (9), क्लीनर (1), कार्टमैन (1), पश एटेंडेंट (1), चिकित्सा रिकॉर्ड एटेंडेंट (2) और सफाई वाला/ सफाई वाली (58) | मल्टी टास्किंग स्टाफ (319) | का.प्र.वि. के का.जा.सं. एबी. 14017/6/2009 एस्ट. (आरआर) दिनांक 30 अप्रैल, 2010 के दिशा-निर्देशों एवं अनुदेशों के अनुसार। |
| 2. | पदों की सं. | 319 | 319 (कार्य-भार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है) | |
| 3. | वर्गीकरण | सामान्य केंद्रीय सेवा समूह 'घ', अराजपत्रित अननुसचिवीय | सामान्य केन्द्रीय सेवा समूह 'ग' अराजपत्रित अननुसचिवीय | |
| 4. | वेतनमान (वेतन अब वेतन मैट्रिक्स में) | रु. 30-1-35 | वेतन मैट्रिक्स का लेवल 1 (रु. 18000) | पूर्व वेतन मान रु. 30-1-35-को अब सातवें के.वे.आ. के वेतन मैट्रिक्स लेवल 1 (रु. 18000) के कैसे बराबर समझे जाने का औचित्य। |
| 5. | क्या चयन पद अथवा अचयन पद | लागू नहीं | लागू नहीं | |
| 6. | सीधे भर्ती के लिए आयु-सीमा | - | 18-25 वर्ष के बीच टिप्पणी: सीधी भर्ती के लिए आयु-सीमा के निर्धारण की तारीख वह होगी जो भारत के उम्मीदवारों से आवेदन पत्र स्वीकार करने की अंतिम तारीख है (और न कि असम, मेघालय, | |

| | | | | |
|----|---|-------------------|---|--|
| | | | अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू - कश्मीर राज्य के लद्दाख प्रभाग, हिमाचल प्रदेश के लाहौल एवं स्पीति जिले और चंबा जिले के पांगी उप- प्रभाग तथा अंडमान एवं नीकोबार द्वीप समूह तथा लक्ष्यद्वीप समूह के उम्मीदवारों के लिए आवेदन पत्र स्वीकार करने की अंतिम तारीख)। रोजगार कार्यालय के माध्यम से भर्ती करने के मामले में आयु-सीमा का निर्धारण करने की तारीख वह होगी जिस अंतिम तारीख तक रोजगार कार्यालय को नाम प्रस्तुत करने के लिए कहा जाए। | |
| 7. | सीधे भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षणिक तथा अन्य अर्हता | मीडिल स्कूल कक्षा | 1. मैट्रिकुलेशन या समकक्ष उत्तीर्ण। | कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के मॉडल आरआर और एबी. 14017/6/2009 एस्ट. (आरआर) दिनांक 30 अप्रैल, 2010 में कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिशा-निर्देशों के अनुसार। |
| 8 | क्या सीधे भर्ती के लिए निर्धारित आयु एवं शैक्षणिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों के मामले में लागू होंगी। | लागू नहीं | लागू नहीं | |
| 9. | परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो। | 2 वर्ष | 2 वर्ष | |

| | | | | |
|-----|--|-----------|--|--|
| 10. | भर्ती की पद्धति: क्या सीधी भर्ती द्वारा या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति द्वारा या आमेलन द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता | - | सीधी भर्ती द्वारा | |
| 11. | प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में वे ग्रेड जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा। | - | लागू नहीं | |
| 12. | यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना | - | <p>नियमित करने पर विचार किए जाने के लिए समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति:</p> <p>संस्थान के निदेशक- अध्यक्ष</p> <p>चिकित्सा अधिकारी- सदस्य</p> <p>सहायक प्रोफेसर - सदस्य</p> <p>प्रशासनिक अधिकारी- सदस्य</p> | <p>प्रोन्नति द्वारा भरे जाने पदों के लिए डीपीसी अनिवार्य है।</p> |
| 13. | भर्ती करते समय किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा। | लागू नहीं | लागू नहीं। | लागू नहीं |